

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अप्रैल 2013—चैत्र 22, शक 1935

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2013

फा. क्र. 4-ए-2002-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में उच्च न्यायालय की अनुशांसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 के अधीन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कुटुम्ब न्यायालय में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी पूर्ण करने (जो भी पहले हो) नियुक्त करता है:—

क्र. (1)	नाम तथा पद (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1.	श्रीमती पारो रायजादा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सागर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ के पद पर.
2.	कु. मीना सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दतिया.	अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर के पद पर.
3.	श्री विनोद भारद्वाज, विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, विदिशा.	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर के पद पर.

उक्त न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा:—

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2013

फा. क्र. 1611-2013-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, श्री अरविन्द मोहन सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक एतद्द्वारा, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

फा. क्र. 17(ई)51-2005-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारीगण की सेवाएं, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-4-2013-उन्तीस-2, दिनांक 25 मार्च 2013 द्वारा उनकी नियुक्ति जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष के पद पर प्रतिनियुक्ति पर किये जाने के फलस्वरूप अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है :-

1. श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (जून.) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, छतरपुर.
2. श्री राजेश गुप्ता, नवम् अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उज्जैन.
3. श्री राजेश कुमार कोष्ठा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जा./ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मण्डला. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सागर.
4. श्री राज कुमार भावे, प्रथम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, गुना.
5. श्रीमती शशिकला चन्द्रा, प्रथम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, दमोह.

6. श्री तुलसीराम उडके, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, मण्डला.
7. श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चाचौड़ा, जिला गुना. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सतना.
8. श्री रामायण प्रताप सिंह, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद.
9. श्री श्याम बिहारी भार्गव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जा./ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दमोह. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, शिवपुरी.
10. श्री कुशल पाल सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जा./ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शाजापुर. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भिण्ड.
11. श्री राम नारायण चौधरी, अध्यक्ष, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जा./ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सतना. जिला उपभोक्ता फोरम, मन्दसौर.

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2013

फा. क्र. 17(ई)81-2005-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री शिशिरकान्त चौबे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, श्योपुर की सेवाएं लोकायुक्त संगठन, भोपाल में विधिक सलाहकार के पद पर, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 18), राज्य शासन, मिनी गुप्ता पिता श्री संतोष कुमार गुप्ता को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक

अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला छतरपुर (म.प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 23 नवम्बर, 1986 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 36), राज्य शासन, सुश्री श्वेता श्रीवास्तव पिता श्री रामकृष्ण श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला दमोह (म.प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 10 सितम्बर, 1978 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 37), राज्य शासन, सुश्री रूची गोलस पिता श्री हरेन्द्र गोलस को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला मुरैना (म.प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 14 सितम्बर, 1988 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 69), राज्य शासन, श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार पिता श्री श्यामलाल अहिरवार को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 19 जुलाई 1984 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 71), राज्य शासन, प्रेमलता बोराना पिता श्री प्रहलाद सिंह बोराना को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2

(प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला उज्जैन (म.प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 16 फरवरी, 1979 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 77), राज्य शासन, कु. लक्ष्मी वास्कले पिता स्व. श्री नंद किशोर वास्कले को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला बड़वानी (म.प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 18 अगस्त, 1984 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 89), राज्य शासन, श्रीमती पुष्पा तिलगाम पिता श्री योगेन्द्र तिलगाम को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट (म.प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 4 जून, 1979 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**के. डी. खान, प्रमुख सचिव.**

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2013

फा. क्र. 17-ई-216-2007-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री रमेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता की इस विभाग के आदेश क्रमांक एम.पी. 8-10-1-2007-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 17 फरवरी 98 जिला मुख्यालय, दमोह में नोटरी व्यवसाय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था, किन्तु दिनांक 3 दिसम्बर 2012 को श्री रमेश कुमार वर्मा का निधन होने के उपरांत नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्ट्रार से विलोपित किया जाता है।

फा. क्र. 17-ई-565-2008-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री रामगोपाल बमोरिया, अधिवक्ता को इस विभाग के आदेश क्रमांक एम.पी. 37-1-1-2009-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 12 जनवरी 2009 तहसील सुसनेर, जिला शाजापुर में नोटरी व्यवसाय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था, किन्तु दिनांक 8 दिसम्बर 2012 को श्री रामगोपाल बमोरिया का निधन होने के उपरांत नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्ट्रार से विलोपित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एस. यादव, अपर सचिव.

### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2013

क्र. एफ-1(ए)145-90-ब-2-दो.—श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कल्याण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 1 से 6 अप्रैल 2013 तक, छह दिवस अर्जित अवकाश 31 मार्च 2013 एवं 7 अप्रैल 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (कल्याण) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (कल्याण) पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. 1(ए)211-1996-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा डॉ. मयंक जैन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस कम्युनिटी रिलेशनशिप, भोपाल को दिनांक 30 जनवरी से 5 फरवरी 2013 तक, कुल सात दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से चौदह दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. मयंक जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

### नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2013

क्र. एफ 31-17-2010-सत्ताईस-1.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई सारणी के कालम (5) में यथा विनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कालम (3) तथा (4) में यथाविनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है, अर्थात् :—

स. क्र.	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्य का कमाण्ड क्षेत्र		
		ग्रामों की संख्या	विस्तार (हे. में.)	कृषक संगठनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना का तृतीय चरण.	36	15020.7	8

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2013

क्र. 2412-अका-विपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र-पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 7683-3466-अका-विपप्र-2012, दिनांक 4 अक्टूबर 2012 को जारी की गई थी, में ग्वालियर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी कु. शिखा पारस, डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय) अंकित है के स्थान पर अब कु. शिखा पोरस, डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय) पढ़ा जाए.

2. राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया तृतीय (राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना) सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 7685-3469-अका-विपप्र-2012, दिनांक 4 अक्टूबर 2012 को जारी की गई थी, में ग्वालियर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी कु. शिखा पारस, डिप्टी कलेक्टर अंकित है के स्थान पर अब कु. शिखा पोरस, डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय) पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल

(विन्ध्याचल भवन)

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्र. सह.अधि.-2013-स्था.—मध्यप्रदेश, राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 20 मई 2013 से 14 जून 2013 तक, में से पन्द्रह दिन का लाभ उठाने की पात्रता है.

2. तदनुसार इस अधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 20 मई से 3 जून 2013 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहेंगे जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.

3. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,  
विमल कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

## कार्यालय, कलेक्टर, अधीक्षक, भू-अभिलेख, रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 18 जून 2012

क्र. 1252-17 भू-अभि.-12.—में, मोहनलाल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायसेन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश बंधक श्रमिक प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की कंडिका 13(2) (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनुविभागीय रायसेन के लिए अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति में तदानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनित करता हूं. इस समिति की कालावधि दो वर्ष की होगी.

### जिला स्तरीय सतर्कता समिति

समिति के सदस्य (1)	संख्या (2)	पद (3)	नाम (4)
जिला दण्डाधिकारी, रायसेन अथवा अनुपस्थिति में अपर जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	01	अध्यक्ष	1. जिला दण्डाधिकारी, रायसेन
धारा 13(2) बी के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो जिले के निवासी है.	03	सदस्य	1. श्री कन्हैया सूरमा, निवासी वार्ड नं. 6, रायसेन. 2. श्री राजा भैया चौधरी, नाहर कालोनी, बरेली. 3. श्री धीरजसिंह आदिवासी, निवासी बरखेडी, गैरतगंज.

(1)	(2)	(3)	(4)
धारा 13(2) सी के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो जिले के निवासी हैं.	02	सदस्य	1. श्रीमती ममता दूबे, रायसेन 2. श्री महेश श्रीवास्तव ठाकुर, मोहल्ला रायसेन.
धारा 13(2) डी के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय अधिकरणों के सदस्य	03	सदस्य	1. पुलिस अधीक्षक, जिला रायसेन 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन. 3. अध्यक्ष, जिला पंचायत.
धारा 13(2) ई के अन्तर्गत बैंक अधिकारी	01	सदस्य	1. लीड बैंक अधिकारी, रायसेन.

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति उपसंभाग, रायसेन

समिति के सदस्य (1)	संख्या (2)	पद (3)	नाम (4)
जिला दण्डाधिकारी, रायसेन अथवा अनुपस्थिति में अपर जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	01	अध्यक्ष	1. अ.वि.अ. दण्डाधिकारी, रायसेन
धारा 13(2) बी के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो जिले के निवासी हैं.	03	सदस्य	1. श्री कन्हैया लाल सूरमा, निवासी वार्ड नं. 6, रायसेन. 2. श्री टीकमसिंह पंवार, नि. चोपडा, मोहल्ला रायसेन. 3. श्री विजयसिंह आ. श्री बलीराम जाति मेहरा, नि. पेमत.
धारा 13(2) सी के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो जिले के निवासी हैं.	02	सदस्य	1. श्रीमती ममता दूबे, नि. वार्ड नं. 9 रायसेन. 2. श्री महेश श्रीवास्तव ठाकुर, मोहल्ला रायसेन.
धारा 13(2) डी के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय अधिकरणों के सदस्य	03	सदस्य	1. प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक, रायसेन 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, रायसेन. 3. उपपुलिस अधीक्षक, रायसेन.
धारा 13(2) ई के अन्तर्गत बैंक अधिकारी	01	सदस्य	1. लीड बैंक अधिकारी, रायसेन.

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति उपसंभाग, बरेली

समिति के सदस्य (1)	संख्या (2)	पद (3)	नाम (4)
जिला दण्डाधिकारी, रायसेन अथवा अनुपस्थिति में अपर जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	01	अध्यक्ष	1. अ.वि.अ. दण्डाधिकारी, बरेली
धारा 13(2) बी के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो जिले के निवासी हैं.	03	सदस्य	1. श्री राजेन्द्रसिंह आदिवासी, ग्राम खरबंदा, तह. उदयपुरा. 2. श्री प्रभाकर मेहरा पूर्व जिलाध्यक्ष ज.पं. निवासी उदयपुरा. 3. श्री हरीशंकर मेहरा भोडिया, तह. बरेली

(1)	(2)	(3)	(4)
धारा 13(2) सी के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो जिले के निवासी है.	02	सदस्य	1. श्री राजा भैया चौधरी, नाहर कालोनी, बरेली. 2. श्री चंपालाल कुशवाह, नि. भारकच्छ कला.
धारा 13(2) डी के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के सदस्य	03	सदस्य	1. प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक, बरेली 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बाड़ी. 3. उपपुलिस अधीक्षक, बरेली
धारा 13(2) ई के अन्तर्गत बैंक अधिकारी	01	सदस्य	1. लीड बैंक अधिकारी, बरेली.

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति उपसंभाग, सिलवानी

समिति के सदस्य (1)	संख्या (2)	पद (3)	नाम (4)
जिला दण्डाधिकारी, रायसेन अथवा अनुपस्थिति में अपर जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	01	अध्यक्ष	1. अ.वि.अ. दण्डाधिकारी, सिलवानी
धारा 13(2) बी के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो जिले के निवासी है.	03	सदस्य	1. श्री अंतराम आ. श्री विश्राम जाति आदिवासी, ग्राम दिलहारी, तह. सिलवानी. 2. श्री महेश आ. श्री हरप्रसाद, नि. गैलवानी. 3. श्री विजयसिंह आ. श्री बलीराम, जाति मेहरा, नि. सिमरिया
धारा 13(2) सी के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो जिले के निवासी है.	02	सदस्य	1. श्री नारायणसिंह लोधी, नि. ग्राम पहेरिया. 2. श्री सैयद कासिम, ग्राम खैरी
धारा 13(2) डी के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के सदस्य	03	सदस्य	1. प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक, सिलवानी 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सिलवानी. 3. उपपुलिस अधीक्षक, बेगमगंज.
धारा 13(2) ई के अन्तर्गत बैंक अधिकारी	01	सदस्य	1. लीड बैंक अधिकारी, सिलवानी.

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति उपसंभाग, बेगमगंज

समिति के सदस्य (1)	संख्या (2)	पद (3)	नाम (4)
जिला दण्डाधिकारी, रायसेन अथवा अनुपस्थिति में अपर जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	01	अध्यक्ष	1. अ.वि.अ. दण्डाधिकारी, बेगमगंज
धारा 13(2) बी के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो जिले के निवासी है.	03	सदस्य	1. अजुधाबाई, जनपद उपाध्यक्ष, मरखेडा टप्पा, तह. बेगमगंज. 2. श्री छोटेलाल शाह, पूर्व जनपद अध्यक्ष, बिछुआ जागीर.

(1)	(2)	(3)	(4)
			3. श्रीमती हीराबाई, पूर्व पार्षद, वार्ड नं. 16, हदाईपुरा, तह. बेगमगंज.
धारा 13(2) सी के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो जिले के निवासी है.	02	सदस्य	1. श्री लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी, बेगमगंज, 2. श्री जगतसिंह, नि. पठाकला.
धारा 13(2) डी के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के सदस्य	03	सदस्य	1. प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक, बेगमगंज. 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बेगमगंज. 3. उपपुलिस अधीक्षक, बेगमगंज.
धारा 13(2) ई के अन्तर्गत बैंक अधिकारी	01	सदस्य	1. लीड बैंक अधिकारी, बेगमगंज.

#### अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति उपसंभाग, गैरतगंज

समिति के सदस्य (1)	संख्या (2)	पद (3)	नाम (4)
जिला दण्डाधिकारी, रायसेन अथवा अनुपस्थिति में अपर जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी.	01	अध्यक्ष	1. अ.वि.अ. दण्डाधिकारी, गैरतगंज
धारा 13(2) बी के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो जिले के निवासी है.	03	सदस्य	1. श्री धीरजसिंह आदिवासी, नि. बेरखेडी 2. श्रीमती सुन्दरबाई, पूर्व सरपंच, गढ़ी 3. श्री मुंशीलाल कोली, नि. हरदोट.
धारा 13(2) सी के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो जिले के निवासी है.	02	सदस्य	1. श्री नरपतसिंह पटेल, आलमपुर 2. श्रीमती मोतीबाई, गुंदरई.
धारा 13(2) डी के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के सदस्य	03	सदस्य	1. प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक, गैरतगंज 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गैरतगंज. 3. उपपुलिस अधीक्षक, गैरतगंज
धारा 13(2) ई के अन्तर्गत बैंक अधिकारी	01	सदस्य	1. लीड बैंक अधिकारी, गैरतगंज.

#### अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति उपसंभाग, गोहरगंज

समिति के सदस्य (1)	संख्या (2)	पद (3)	नाम (4)
जिला दण्डाधिकारी, रायसेन अथवा अनुपस्थिति में अपर जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी.	01	अध्यक्ष	1. अ.वि.अ. दण्डाधिकारी, गोहरगंज
धारा 13(2) बी के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो जिले के निवासी है.	03	सदस्य	1. श्री सरदारसिंह आ. श्री शेरसिंह, ग्राम पिपलिया गोली. 2. श्री सर्वोदयनंद आ. श्री विजय प्रकाश नि. हरई. 3. श्री कन्हैयालाल नंदवंशी आ. श्री हरिराम, नि. आमछाकला.



(1)	(2)	(3)	(4)
धारा 13(2) सी के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो जिले के निवासी है.	02	सदस्य	1. श्री कन्हैयालाल नंदवंशी आ. श्री हरिराम नि. आमछाकला. 2. श्री तेजसिंह आ. श्री मूलचंद नागर नि. इटायकला.
धारा 13(2) डी के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के सदस्य.	03	सदस्य	1. प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक, गोहरगंज 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, ओ.गंज. 3. उपपुलिस अधीक्षक, ओ. गंज
धारा 13(2) ई के अन्तर्गत बैंक अधिकारी	01	सदस्य	1. लीड बैंक अधिकारी, गोहरगंज.

**मोहनलाल, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.**

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 4 फरवरी 2013

क्र. 25-5अ-एस.सी.-2-13.—एतद्वारा मध्यप्रदेश उपज कृषि मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (5) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिले के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति सतना के निर्वाचन की कार्यवाही सम्पन्न होने के फलस्वरूप निम्नानुसार सदस्य नाम निर्दिष्ट किया जाता है :-

क्र.	नाम निर्दिष्ट सदस्यों का नाम व पता	प्राप्त प्रस्ताव	पद जिसके लिये नाम निर्दिष्ट किये गये
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री मनसुखलाल पटेल	माननीय सांसद महोदय लोकसभा क्षेत्र, सतना.	प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी समिति सतना.
2	श्री इंद्रजीत सिंह पिता श्री रामनानुज सिंह ग्राम पोस्ट बर्ती, जिला सतना.	माननीय विधायक वि.स.क्षे., रामपुर बाघेलान, सतना.	प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी सतना.
3	श्री दिलीप चतुर्वेदी पिता श्री रामानुज चतुर्वेदी, ग्राम करही कोठार, पोस्ट बगहा, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना.	माननीय विधायक वि.स.क्षे., रैगांव, सतना.	प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी सतना.
4	श्री सुनील कुमार जायसवाल, सतना	माननीय विधायक वि.स.क्षे., चित्रकूट, सतना.	प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी सतना.
5	श्री महेन्द्र सिंह ग्राम पिथैपुर, जिला सतना	माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत, सतना.	प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी सतना.

के. के. खरे, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 8 मार्च 2013

क्र. 2922-जी.ए.डी.-2013.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-एक-4, दिनांक 30 सितम्बर 1999 में विहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर, जिला खरगोन वर्ष 2013 हेतु जिला खरगोन के लिये निम्नांकित तिथियों का स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

अ. क्र. (1)	त्यौहार का नाम (2)	दिन (3)	दिनांक (4)	अवधि (5)	विवरण (6)
1	गुरु पूर्णिमा	सोमवार	22-7-13	पूर्ण दिवस	संपूर्ण जिला
2	शिव पालकी	सोमवार	12-8-13	पूर्ण दिवस	तहसील बड़वाहा व सनावद क्षेत्र के लिये.
3	शिव डोला	गुरुवार	22-8-13	पूर्ण दिवस	संपूर्ण जिला तहसील (बड़वाहा व सनावद को छोड़कर)
4	अहिल्या उत्सव	बुधवार	4-9-13	पूर्ण दिवस	तहसील महेश्वर क्षेत्र के लिये
5	दीपावली का दूसरा दिन	सोमवार	4-11-13	पूर्ण दिवस	संपूर्ण जिला

उक्त अवकाश बैंक/कोषालय/उपकोषालय पर लागू नहीं होगा.

नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. 1120-मण्डी-निर्वा.-2013.—मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समिति, देवास के लिये माननीय श्री दीपक जोशी, विधायक, हाटपिपल्या की ओर से श्री विष्णुप्रसाद पिता श्री लक्ष्मीनारायण, निवासी सुनवानी महाकाल, तहसील व जिला देवास को प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है.

एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्र. 1595-कृ.उ.म.-2013.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) के खण्ड (घ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला रायसेन, कृषि उपज मण्डी समिति, औबेदुल्लागंज में विधायक, भोजपुर 141, जिला रायसेन द्वारा प्रतिनिधि नियुक्ति हेतु निर्दिष्ट सदस्य का नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूँ:—

1. श्री संतोष पटेल आ. श्री कमलसिंह पटेल, धारा 11(1) के खण्ड (घ)  
निवासी ग्राम मंजूसखुर्द, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन विधायक प्रतिनिधि

जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

## कार्यालय, कुलाधिपति, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महु

राजभवन, भोपाल, दिनांक 5/6 अप्रैल 2013

क्र. 403/रास/यूए-6/2013.—डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महु के रेग्यूलेशन की कण्डिका 35 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राम नरेश यादव, चेयरमेन, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महु, एतद्द्वारा श्री आर. एस. कुरील, कुलपति, नरेन्द्रदेव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी, कुमारगंज फैजाबाद (उ. प्र.) को पदभार ग्रहण करने की दिनांक से चार वर्ष की कालावधि अथवा उनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिये डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महु का महानिदेशक नियुक्त करता हूँ.

इनकी सेवा शर्तें एवं वेतन भत्ते आदि रेग्यूलेशन की कंडिका 35 (8) के अनुसार होंगी.

यह आदेश दिनांक 5 मई, 2013 से प्रभावशील होगा.

राम नरेश यादव, चेयरमेन.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश, एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
सिवनी, दिनांक 20 मार्च 2013

क्र. 1891-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) सिवनी	(2) सिवनी	(3) लखनवाड़ा रा.नि.मं. सिवनी ब. नं. 532 तह. सिवनी.	(4) 0.731 अशासकीय भूमि	कार्यपालक अभियंता, निर्माण द. पू. रेल्वे, नैनपुर.	छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश, एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
दमोह, दिनांक 23 मार्च 2013

क्र. क-भू.अ.वि.स.-2012-13-5816.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) दमोह	(2) दमोह	(3) खोजाखेड़ी बेलखेड़ी	(4) 0.22 0.56 योग . . 0.78	संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डब्लपमेंट कार्पोरेशन लिमि. सागर.	बी. ओ.टी. (टोल+एन्यूटी) योजनांतर्गत दमोह-पथरिया- गढ़ाकोटा मार्ग के निर्माण बाबत.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डब्लपमेंट कार्पोरेशन लिमि. सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. 16-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	दुबही	12.60	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 1, डबरा, जिला ग्वालियर	हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
कुल योग . .			12.60		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 26 मार्च 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-764.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
शिवपुरी	शिवपुरी	मेहदावली	8	0.15	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.	गुरीला तालाब के निर्माण हेतु.
			9	0.88		
			10	1.20		
			11/6	0.17		
			11/7	0.35		
			12	0.15		
			42/1	0.40		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			42/2	0.45	
			42/3	0.25	
			43	0.20	
			44	0.75	
			47	0.94	
			48	1.25	
			49/1	0.35	
			49/2	0.25	
			6	0.05	
			7/1	0.05	
			कुल . .	7.84	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2013

प्र. क्र. 03-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची (5) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम/ प.ह.नं./नं.ब.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	शाट नं. 2,5,8 प्लॉट नं. 904/1 तह. व जिला जबलपुर.	2567 वर्गफुट (239 वर्गमीटर) योग . . 239 वर्गमीटर	आयुक्त, नगर पालिक निगम जबलपुर.	स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड के अंतर्गत आनंद टाकीज रोड से महर्षि स्कूल के बीच में जबलपुर हॉस्पिटल की ओर जाने वाली सड़क के चौड़ी- करण हेतु भू-अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची (5) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई

शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वर्णन
		नगर/ग्राम/प.ह.नं./नं.ब.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	ब्लॉक नं. 4, प्लाट नं. 23/2 नं. बं.— प.ह.नं.—तह. व जिला जबलपुर.	0.0479 हे. (2086 वर्गफुट में से 256 वर्गफुट) (24 वर्गमीटर) योग . . (24 वर्गमीटर)	आयुक्त, नगर पालिक निगम जबलपुर.	स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड रसल चौक से इन्कम टैक्स मार्ग पर सार्वजनिक सड़क चौड़ीकरण हेतु भू-अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 28 मार्च 2013

क्र. 2638-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	कुल ख. नं. कुल रकबा (हेक्टर में)	(5)	(6)
सागर	केसली	ईदलपुर प.ह.नं. 30	1 0.80	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर (म. प्र.)	सोनपुर मध्यम परियोजना के केसली बांध निर्माण हेतु.
			कुल . . 0.80		

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना के केसली बांध निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2639-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाने (5) में

उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) कुल ख. नं. कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सागर	केसली	घाना प.ह.नं. 37	1 0.10 कुल . . 0.10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर (म. प्र.)	सोनपुर मध्यम परियोजना के केसली बांध निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना के केसली बांध निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 30 मार्च 2013

प्र. क्र. 12-अ-82 वर्ष 12-13-भू-अर्जन-3216.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	इटावा	2.140	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	इटावा जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अतिरिक्त अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
रीवा, दिनांक 30 मार्च 2013**

क्र. 837-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सतना	कोटर	सेमरी	55/45	3.25	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर की सेमरी छोटा टोला सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 839-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बहेरिया कोठार	2.43	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर की सेमरी छोटा टोला सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.



क्र. 841-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) सेमरिया	(3) खरहरी पवाई	(4) 4.25	(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.	(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर की बहेरिया सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 843-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) सेमरिया	(3) बिलरी पैपखार	(4) 2.34	(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.	(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर बिलरी सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 845-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार

इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बिलरी कौंठार	2.32	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर बिलरी सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 847-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	तिघरा पैपखार	2.40	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर बहेरिया सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 849-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	पटेहरा कोठार	4.75	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर की बहेरिया सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मझौली, दिनांक 30 मार्च 2013

प. क्र.-522-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	रूपईडोल	63.47	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.).	(गुलाब सागर बांध) डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प.क्र.-524-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	करमाई	72.99	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.)	(गुलाब सागर बांध) डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प. क्र.-526-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	चुनगुना	278.355	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.)	(गुलाब सागर बांध) डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प. क्र.-528-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	छुही	15.576	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.)	(गुलाब सागर बांध) डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-530-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	सेधवा	254.749	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.)	(गुलाब सागर बांध) डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प. क्र.-532-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	गजरी	231.462	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.)	(गुलाब सागर बांध) डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प. क्र.-534-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	खन्तरा	152.328	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.)	(गुलाब सागर बांध) डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प. क्र.-536-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	तिलवारी	30.041	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.)	(गुलाब सागर बांध) डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-538-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	कोटरो	122.595	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.)	(गुलाब सागर बांध) डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश, एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्र. 70-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों

को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	अमोखर	0.08	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म. प्र.)	नंदनपुर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु (पूरक अनुसूची).

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नंदनपुर, तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 71-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	टीपाबदौर	1.214 हेक्टे. कृषक भूमि 0.39 म. प्र. शासन <hr/> 1.604 हेक्टे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म. प्र.)	कदुआवन बांध योजना के नहर निर्माण योजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कदुआवन बांध योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 2 अप्रैल 2013

क्र. 1586-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय

की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सिंगरौली	खजुरी	6.72	जिला भू-अर्जन अधिकारी, जिला सिंगरौली, म. प्र.	सिंगरौली जिले में नवीन हवाई अड्डा निर्माण बावत्.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) जिला भू-अर्जन अधिकारी, सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 1588-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सिंगरौली	कटौली	17.81	जिला भू-अर्जन अधिकारी, जिला सिंगरौली, म. प्र.	सिंगरौली जिले में नवीन हवाई अड्डा निर्माण बावत्.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) जिला भू-अर्जन अधिकारी, सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 1590-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सिंगरौली	सिंगरौलिया	1.81	जिला भू-अर्जन अधिकारी जिला सिंगरौली, म. प्र.	सिंगरौली जिले में नवीन हवाई अड्डा निर्माण बावत्.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) जिला भू-अर्जन अधिकारी, सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 12 मार्च 2013

क्र. भू-अर्जन-373.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/तालुक	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अशोकनगर	मुंगावली	बरी	0.908	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अशोकनगर (म.प्र.)	केथन डायवर्सन नहर निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा एवं संपत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी मुंगावली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संकेत भोंडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 25 मार्च 2013

प्र. क्र. 3 अ-82 वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-पत्र-क्र.-132—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	सुकरी प. ह. नं. 40 नं. बं. 581	8.127	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर (म.प्र.)	लोवर डोभ जलाशय के निर्माण हेतु

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4अ-82 वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-2013-पत्र-क्र.-129—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	कोरेगांव प. ह. नं. 40 नं. बं. 83	1.041	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर (म.प्र.)	लोवर डोभ जलाशय की नहर के निर्माण हेतु.

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5अ-82 वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-पत्र-क्र.-130—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	सुकरी प. ह. नं. 40 नं. बं. 581	0.999	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.	लोवर डोभ जलाशय की दांयी नहर के निर्माण हेतु.

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6अ-82 वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-2013-पत्र-क्र.-131.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)

में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	डोभ, प. ह. नं. 40 नं. बं. 225	13.536	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.	लोवर डोभ जलाशय के निर्माण हेतु

**नोट.**— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 2अ-82 वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-2013-पत्र-क्र.-133.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	डोभ, प. ह. नं. 40 नं. बं. 225	1.037	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.	लोवर डोभ जलाशय की नहर के निर्माण हेतु.

**नोट.**— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 7अ-82 वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-पत्र-क्र.-134.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	पिठेहरा, प. ह. नं. 1/7, नं. बं. 309	0.610	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर	बंधी जलाशय निर्माण हेतु नहर का कार्य.

**नोट.**— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**संजीव सिंह**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. 2791-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-सातनूर ब. नं.-376, प. ह. नं.-60/23 रा. नि. मं.-सौंसर	रकबा 66.629 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां
			भू-अर्जन अधिकारी तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.
			अर्जित की जाने वाली

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9, इमामबाड़ा रोड, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय-गावंडे कॉलोनी, नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2792-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने

के लिए प्राधिकृत करता हूँ. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम		अर्जित की जाने वाली	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-खापाकरीमवार ब. नं.-74, प. ह. नं.-60/23 रा. नि. मं.-सौंसर	रकबा 87.818 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.	विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi-Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9, इमामबाड़ा रोड, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय-गावंडे कॉलोनी, नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2793-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम		अर्जित की जाने वाली	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-कोदाडोंगरी दवामी ब. नं.-59 प. ह. नं.-60/23 रा. नि. मं.-सौंसर	रकबा 22.706 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.	विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi-Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील सौंसर, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9, इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय-गावंडे कॉलोनी, नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 2794-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम	अर्जित की जाने वाली		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	सौंसर	ग्राम-कोदाडोंगरी बी.2, ब. नं.-60, प. ह. नं.-60/23 रा. नि. मं.-सौंसर	रकबा 24.065 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सौंसर, जिला छिंदवाड़ा।	विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi-Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील सौंसर, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9, इमामबाड़ा रोड, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय-गावंडे कॉलोनी, नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 2795-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-कोदाडोंगरी मालगुजारी ब. नं.-57 प. ह. नं.-60/23 रा. नि. मं.-सौंसर	रकबा 67.900 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा।	विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi- Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9, इमामबाड़ा रोड, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय-गावंडे कॉलोनी, नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 2796-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-दुधालाखुर्द ब. नं.-189 प. ह. नं.-61/24 रा. नि. मं.-सौंसर	रकबा 96.900 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
			भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9, इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय-गावंडे कॉलोनी, नागपुर रोड, सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2797-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने



के लिए प्राधिकृत करता हूँ. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-कोदाडोंगरी बी 1, ब. नं.-58 प. ह. नं.-60/23 रा. नि. मं.-सौंसर.	रकबा 07.720 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
			भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्सा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लास डेव्हलपर्स लिमिटेड-9, इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्सा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लास डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय-गावंडे कॉलोनी, नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2798-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-सावंगा ब. नं.-381 प. ह. नं.-61/24 रा. नि. मं.-सौंसर.	रकबा 56.927 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
			भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्सा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लास डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय-गावंडे कॉलोनी, नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9, इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्सा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय-गावंडे कॉलोनी, नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 28 मार्च/ 1 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 09-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा			सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)			(2) द्वारा प्राधिकृत	का वर्णन
			खसरा	कुल रकबा	अर्जित किये	अधिकारी	
			क्रमांक	(हेक्टर में)	जाने वाला		
					रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
रायसेन	बेगमगंज	जमुनिया ता.	186/1/6	0.324	0.180	कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, भोपाल.	पुल निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. भू-अर्जन-2012-13-475.— चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

## भूमि का वर्णन

जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	857	0.15	कार्यपालन यंत्री,	सिंध परियोजना द्वितीय चरण
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	858	0.16	सिंध परि. दांया तट नहर	के अंतर्गत डी-5 वितरिका की
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	859	0.05	संभाग, करैरा,	6 एल-ए के निर्माण हेतु.
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	860	0.03	जिला शिवपुरी (म.प्र.)	
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	862	0.02		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	863	0.01		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	864	0.01		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	867	0.13		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	900	0.13		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	903	0.20		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	904	0.07		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	928	0.25		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	929	0.07		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	931	0.03		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	943	0.16		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	969	0.11		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	972	0.07		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	973	0.04		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	974	0.12		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	1174	0.05		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	1175	0.08		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	1176	0.01		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	1183	0.08		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	1184	0.03		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	1185	0.14		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	1186	0.01		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	1194	0.11		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	1195	0.17		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	1197	0.05		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	1198	0.11		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	1199	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	1200	0.07		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	1335	0.09		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	1338	0.03		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	1339	0.01		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	1340	0.07		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	1341	0.03		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	2574	0.09		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	2626	0.07		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	2627	0.09		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	2628	0.05		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	2674	0.08		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	2675	0.01		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	2676	0.15		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	2691	0.17		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	2692	0.11		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	2696	0.13		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	2697	0.07		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	2699	0.10		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	2700	0.14		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	2703	0.06		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	2709	0.12		
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	2710	0.03		
योग :				4.43		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

शिवपुरी, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्र. भू-अर्जन-2012-13-476.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णन

जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हे.में.)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	अन्दौरा	118	0.02	कार्यपालन यंत्री,	सिंध परियोजना द्वितीय चरण
शिवपुरी	नरवर	अन्दौरा	119	0.06	सिंध परि. दांया तट नहर	के अंतर्गत डी-5 वितरिका की
शिवपुरी	नरवर	अन्दौरा	120	0.06	संभाग, करैरा,	6 एल-ए के निर्माण हेतु.
शिवपुरी	नरवर	अन्दौरा	580	0.18	जिला शिवपुरी ( म.प्र.)	
शिवपुरी	नरवर	अन्दौरा	584	0.08		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	अन्दौरा	590	0.01		
शिवपुरी	नरवर	अन्दौरा	591	0.03		
शिवपुरी	नरवर	अन्दौरा	592	0.02		
शिवपुरी	नरवर	अन्दौरा	593	0.44		
शिवपुरी	नरवर	अन्दौरा	597	0.03		
शिवपुरी	नरवर	अन्दौरा	598	0.07		
शिवपुरी	नरवर	अन्दौरा	599	0.01		
योग :				1.01		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 1 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 2अ-82 वर्ष 12-13-भू-अर्जन-3262.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैंसदेही	सिवनपाट	1.371	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, बैतूल.	सिवनपाट जलाशय के स्पील पहुंच मार्ग, नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैंसदेही जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 3 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 02अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	इछावर	गाजीखेड़ी	0.162	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, सीहोर.	कालापिपल जलाशय नहर निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अ. वि. अ./भू-अर्जन अधिकारी इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.  
(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ. वि. अधिकारी कार्यालय इछावर में प्रस्तुत करे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 3 अप्रैल 2013

क्र. 1604-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	चितरंगी	रेही	21.51	उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, चितरंगी.	बेलदरा बांध योजना के अंतर्गत बांध का डूब क्षेत्र एवं जल निकासी.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, चितरंगी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1606-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	चितरंगी	कमरौहा	15.82	उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, चितरंगी.	बेलदरा बांध योजना के अंतर्गत बांध का डूब क्षेत्र एवं जल निकासी.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, चितरंगी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1608-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	चितरंगी	बगदरा	1.98	उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, चितरंगी	बेलदरा बांध योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, चितरंगी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**एम. सेलवेन्द्रन**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 22 फरवरी 2013

**संशोधित अधिसूचना**

प्र. क्र. 02-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी  
(ख) तहसील—रीठी  
(ग) ग्राम—चिखला  
(घ) लगभग—0.42 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
70/1	0.06
70/2	0.08
96	0.21
92	0.07
योग . .	0.42

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरदुआ बिरूहुली थनौरा बिलहरी मार्ग हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कटनी कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अशोक कुमार सिंह**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 7 मार्च 2013

**संशोधित अधिसूचना**

प्र. क्र. 1-अ-82-2009-10-भू-अर्जन-2013.—मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक दिनांक 2 जुलाई 2010 के पृष्ठ क्र. 1524 पर अधिसूचना क्रमांक 1-अ-82-09-10-भू.अ.अ.-10, जबलपुर, दिनांक 18 जून

2010 में अर्जित की रही भूमि का रकबा 0.491 हे. प्रकाशित किया गया था. मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर एवं कृषकों के मध्य दिनांक 28 सितम्बर 2010 को अनुबंध हुआ, जिसके अनुसार प्रस्ताविक सड़क 60 फुट के स्थान पर 50 फुट चौड़ी निर्मित होगी एवं ख. नं. 26 रकबा 0.032 का अर्जन नहीं किया जा रहा है, फलस्वरूप संशोधित अधिसूचना प्रकाशित की जा रही है. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर  
(ख) तहसील—जबलपुर  
(ग) ग्राम—रानीपुर, न. बं. 401, प. ह. नं. 05 (25/31)  
(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.380 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
21/1	0.037
21/2	0.025
21/3	0.013
21/4	0.012
21/5,6,7	0.155
21/8	0.078
25/1	0.012
25/2	0.030
25/3	0.018
योग :	0.380

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—ओमती नाले पर प्रस्तावित ओवर ब्रिज से मदनमहल रेल्वे स्टेशन को जोड़ने वाली प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**गुलशन बामरा**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



कार्यालय, कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा,  
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 14 मार्च 2013

भू-अर्जन-प्र. क्र. 01-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पूर्व निमाड़, खण्डवा  
(ख) तहसील—पंधाना  
(ग) ग्राम—अर्दला खुर्द  
(घ) कुल अर्जित रकबा—12.98 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
226/1	0.26
226/2	0.32
225	0.60
224/2	0.20
234/1	2.50
234/2	1.34
214	0.11
232	1.84
231	0.30
213	1.22
212/1	0.56
209/2, 212/2	0.60
209/1, 209/3, 212/3	0.60
210	0.16
180	0.64
182	0.40
71	0.08
70	0.43
73	0.06
192	0.70
194	0.06
योग . .	12.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—जल संसाधन संभाग, खण्डवा अन्तर्गत अर्दला तालाब योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पंधाना एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 02-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पूर्व निमाड़, खण्डवा  
(ख) तहसील—पंधाना  
(ग) ग्राम—जामली राजगढ़  
(घ) कुल अर्जित रकबा—5.61 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
248	3.96
249	0.80
210	1.34
180	0.50
199	0.10
200	1.71
177/2	0.20
योग . .	5.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—जल संसाधन संभाग, खण्डवा अन्तर्गत अर्दला तालाब योजना के शीर्ष एवं एप्रोच चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पंधाना एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 03-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पूर्व निमाड़, खण्डवा  
(ख) तहसील—पंधाना  
(ग) ग्राम—दिवाल  
(घ) कुल अर्जित रकबा—5.00 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
13/2	0.03
17/2	0.03
17/3	0.07
18	0.12
28/1	0.15
28/2	0.35
70	0.10
69/1	0.06
69/2	0.07
61	0.30
60	0.20
68	0.15
67	0.12
86/2	0.07
86/5	0.03
86/6	0.12
86/3	0.05
86/7	0.05
86/4	0.35
87/1	0.12
87/2	0.10
87/4	0.15
87/3	0.08
90	0.20
89/2	0.08
89/1	0.08
12	0.07

(1)	(2)
7	0.18
4	0.08
2	0.09
66	0.12
63/4	0.07
63/2	0.12
63/3	0.08
55/2	0.14
96/2	0.04
510	0.08
97/1	0.02
97/2	0.03
97/3	0.03
98	0.04
102/1	0.05
102/2	0.05
102/3	0.04
110	0.14
109	0.02
108	0.08
10	0.20
योग . .	5.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—जल संसाधन संभाग, खण्डवा अन्तर्गत अर्दला तालाब के नहर कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पंधाना एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 04-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पूर्व निमाड़, खण्डवा  
(ख) तहसील—पंधाना

(ग) ग्राम—पाबईखुर्द

(घ) कुल अर्जित रकबा—1.47 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
156	0.36
155	0.11
158/1	0.08
160/3	0.08
160/2	0.06
160/1	0.02
161	0.04
163	0.02
164	0.04
166	0.12
168	0.07
167	0.06
16/1	0.10
16/2	0.31
योग . . 1.47	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—जल संसाधन संभाग, खण्डवा अन्तर्गत अर्दला तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पंधाना एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(ग) ग्राम—डापक्या

(घ) कुल अर्जित रकबा—1.94 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
231	0.04
208/6	0.12
208/3	0.12
208/4	0.08
208/2	0.12
208/1	0.08
207/3	0.07
207/2	0.10
207/1	0.10
202	0.16
167/4	0.14
167/3	0.14
167/1	0.08
164	0.06
162	0.11
161	0.04
160	0.18
69	0.20
योग . . 1.94	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—जल संसाधन संभाग, खण्डवा अन्तर्गत अर्दला तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पंधाना एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 05-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पूर्व निमाड, खण्डवा

(ख) तहसील—पंधाना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(1) (2)

शहडोल, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 573-प्र.क्र. 07-अ-82-2012-13-1851.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—जैतपुर

(ग) ग्राम—पड़खुरी, पटवारी हल्का बैरिहा नम्बर 30

(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.979 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

38/1क

0.028

38/1ख

0.150

38/1ग

0.141

38/2

0.708

39

0.043

40/1

0.878

40/2

0.214

40/3

0.874

40/4

0.809

41/1

0.837

41/2

0.323

42/1

0.319

42/2

0.006

54/2

0.312

55

0.376

57

0.283

58

1.315

62/2

0.094

63

0.344

65

0.129

66

0.154

67

1.202

68

0.125

69/1

0.192

69/2क

0.048

78

0.539

79/1

0.178

79/2

0.760

42/3

0.319

42/4

0.065

43/1

0.159

43/2

0.159

43/3

0.095

44

0.295

49

0.514

50/1

0.105

50/2

0.101

51

0.016

52

0.214

53

0.057

54/1

0.405

59

0.210

60/1

0.121

61/2

0.121

62/1

0.094

79/3

0.176

80

0.397

81

0.219

82

0.156

82/2

0.158

69/2ख

0.049

69/2ग

0.048

69/2घ

0.048

70

0.113

71/1

0.039

71/2

0.039

71/3

0.038

71/4

0.038

72

0.157

73

0.235

74

0.041

75

0.138

76

0.040

77/1

0.040

77/2

0.680

24/1

0.076

(1)	(2)	लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—																					
24/2	0.081	<b>अनुसूची</b> (1) भूमि का वर्णन— (क) जिला—रीवा (ख) तहसील—सेमरिया (ग) नगर/ग्राम—बीड़ा, 386, प.ह. बीड़ा 23 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.787 हेक्टेयर.  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>खसरा क्र.</th> <th>रकबा (हेक्टेयर में)</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>644/1</td><td>0.121</td></tr> <tr><td>684/3</td><td>0.113</td></tr> <tr><td>685/1</td><td>0.016</td></tr> <tr><td>686/2</td><td>0.223</td></tr> <tr><td>686/3</td><td>0.052</td></tr> <tr><td>687/2</td><td>0.230</td></tr> <tr><td>688</td><td>0.032</td></tr> <tr><td>योग . .</td><td><u>0.787</u></td></tr> </tbody> </table>		खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)	644/1	0.121	684/3	0.113	685/1	0.016	686/2	0.223	686/3	0.052	687/2	0.230	688	0.032	योग . .	<u>0.787</u>
खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)																						
(1)	(2)																						
644/1	0.121																						
684/3	0.113																						
685/1	0.016																						
686/2	0.223																						
686/3	0.052																						
687/2	0.230																						
688	0.032																						
योग . .	<u>0.787</u>																						
26	0.076																						
21/2	0.506																						
82/3	0.156																						
83/1	0.162																						
83/2	0.166																						
84	0.235																						
85/2	0.506																						
85/4ख	0.405																						
86/1	0.137																						
86/2	0.138																						
87	0.182																						
88	0.158																						
89	0.016																						
101/1	0.160																						
101/2	0.160																						
100/2	0.160																						
255/2	0.320																						
255/4	1.416																						
270	0.200																						
271	0.284																						
कुल योग . . <u>22.979</u>		(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बीड़ा झलवार मार्ग के कि. मी. 2/8 में टमस नदी पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.																					

(2) जिसके लिये आवश्यकता है—पड़खुरी जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित ग्राम पड़खुरी की रकबा 22.979.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अशोक कुमार भार्गव**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
 पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. 65-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
 (ख) तहसील—सेमरिया  
 (ग) नगर/ग्राम—झलवार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.182 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1301	0.182
योग . .	<u>0.182</u>

(1)	(2)	(3)
395	0.55	
388	0.75	
योग . .	<u>6.60</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बीड़ा झलवार मार्ग के कि. मी. 2/8 में टमस नदी पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिरमौर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पालखंदा तालाब योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण.—अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गरोठ, जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गरोठ, दिनांक 30 मार्च 2013

प्र. क्र. 05 अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की पालखंदा तालाब योजना (पूरक प्रकरण) के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मन्दसौर  
(ख) तहसील—शामगढ़  
(ग) ग्राम—सुरजनानया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.60 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	अर्जित संपत्तियों का विवरण
(1)	(2)	(3)
339/1	1.15	कुआ अध पक्का 1
372/2	1.13	कुआ कच्चा 1
394	2.55	
381	0.47	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शंशाक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. 827-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—विरसिंहपुर  
(ग) नगर/ग्राम—कुबरी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.243 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
408	0.084
404	0.094
398	0.026
399	0.096

(1)	(2)	क्र. 829-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	
393	0.144	अनुसूची	
392	0.115	(1) भूमि का वर्णन—	
391	0.192	(क) जिला—सतना	
383	0.012	(ख) तहसील—विरसिंहपुर	
390	0.008	(ग) नगर/ग्राम—मेहुती	
382	0.004	(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.883 हेक्टेयर.	
384	0.138	खसरा नं.	रकबा
386	0.080		(हेक्टेयर में)
387	0.004	(1)	(2)
429	0.184	2752	0.036
428	0.006	2751	0.044
427	0.020	2753	0.136
426	0.012	2760	0.020
424	0.196	2719	0.080
440	0.024	2783	0.040
445	0.308	2807	0.104
498	0.108	2806	0.006
499	0.012	2805	0.052
500	0.176	2794	0.144
502	0.220	2778	0.016
304	0.140	2777	0.076
305	0.096	2453	0.020
306	0.060	2112	0.052
307	0.060	2108	0.048
368	0.176	2111	0.040
301	0.008	2109	0.056
372	0.080	2110	0.020
374	0.024	2107	0.032
366	0.014	2134	0.020
365	0.040	2098	0.028
364	0.090	2101	0.126
363	0.024	2102	0.064
479	0.168	2103	0.016
		3001	0.016
		2996	0.199
	योग . . . 3.243		
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की कुबरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.		
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		

(1)	(2)	(1)	(2)
3014	0.184	105	0.408
3015	0.120	119	0.084
3016	0.088	123	0.036
3017	0.080	124	0.036
3030	0.068	125	0.036
3029	0.104	236	0.032
3142	0.012	235	0.034
3144	0.544	237	0.240
2800	0.180	251	0.024
2801	0.012	269	0.160
योग . . .	<u>2.883</u>	266	0.128
		274	0.028
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की कुबरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.		275	0.232
		263	0.220
		401	0.200
		381	<u>0.016</u>
		योग . . .	<u>2.52</u>

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की कुबरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 831-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराज नगर  
(ग) नगर/ग्राम—सेमरा कोठार  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.52 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
42	0.140
43	0.078
59	0.024
58	0.016
55	0.052
54	0.168
56	0.128

क्र. 833-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—कोटर  
(ग) नगर/ग्राम—कोटर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.524 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
101	0.112
100	0.012



(1)	(2)	(1)	(2)
98	0.036	837	0.234
4645	0.172	836	0.092
97	0.024	843	0.008
102	0.168	844	0.036
103	0.012	845	0.104
92/2	0.300	846	0.024
97	0.016	840	0.020
94/4	0.016	816	0.260
94/3	0.040	814	0.060
94/2	0.048	807	0.216
92/2	0.300	806	0.150
92/6	0.020	805	0.112
94/5	0.048	798	0.056
93	0.008	799	0.004
92/5	0.192	1030	0.012
		779	0.114
योग . . .	<u>1.524</u>	966	0.200
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की कुबरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.		977	0.488
		980	0.120
		254	0.116
		255	0.060
		254	0.112
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		228	0.144
		227	0.088
		232	0.052
क्र. 851-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		231	0.084
		230	0.008
		238	0.156
		239	0.072
		240	0.100
		242	0.168
		255	0.080
		246	0.084
(1) भूमि का वर्णन—		247	0.038
(क) जिला—सतना		248	0.090
(ख) तहसील—रघुराज नगर		114	0.044
(ग) नगर/ग्राम—डगडीहा कोठार		113	0.044
(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.978 हेक्टेयर.		112	0.118
		99	0.100
खसरा नं.	रकबा	98	0.056
	(हेक्टेयर में)	97	0.236
(1)	(2)	250	0.028
832	0.458		
833	0.132		
		योग . . .	<u>4.978</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 853-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराज नगर  
(ग) नगर/ग्राम—अकौना कोठार  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.004 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
245	0.152
265	0.144
249	0.624
169	0.028
223	0.072
222	0.020
220	0.168
221	0.024
214	0.036
215	0.020
177	0.240
178	0.024
175	0.064
182	0.256
179	0.040
181	0.040
183	0.154
184	0.008
185	0.150
170	0.016

(1)	(2)
7	0.116
9	0.128
8	0.140
15	0.100
12	0.072
14	0.060
13	0.108

योग . . . 3.004

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 855-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराज नगर  
(ग) नगर/ग्राम—कुआ कोठार  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —7.976 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1514	0.056
1515	0.048
1513	0.008
1516	0.008
1611	0.340
1506	0.166
1505	0.016
1488/2	0.006
1495	0.012
1659	0.360

(1)	(2)	(1)	(2)
1502	0.020	562	0.212
1470	0.158	458	0.188
1476	0.024	563	0.024
1284	0.020	573	0.060
1279	0.204	556	0.040
1268	0.032	574	0.390
1208	0.080	584	0.176
1207	0.160	585	0.188
1205	0.096	644/1	0.016
1206	0.036	643/1	0.196
1204	0.044	640	0.012
1240	0.072	1600	0.088
1199	0.068	633	0.172
1198	0.056	631	0.158
1189	0.040	625	0.224
1193	0.008	619/6	0.176
1194	0.008	624	0.108
1124	0.024	620/7	0.072
1145	0.076	619/2	0.104
1112	0.080	620/9	0.144
1114	0.360	620/2	0.300
1115	0.120	618/2	0.056
883	0.032	620/3	0.052
992	0.208	618/3	0.072
891	0.020	618/1	0.064
890	0.080	615/3	0.012
849	0.072	611	0.078
854	0.036	608	0.192
850	0.008	609	0.024
851	0.032	191	0.340
853	0.120		
859	0.084		योग . . . <u>7.976</u>
86	0.060		
871	0.008	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
861	0.008	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
862	0.052		
869	0.120		
870	0.012		
865	0.080		
860	0.256		
530	0.012		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्र. 4555-भू-अर्जन-2013.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—मालपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—35.464 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि  
(हेक्टर में)

(1)

(2)

5/2/1	0.180
7/1	0.075
8	0.060
28/1	0.300
28/3	0.190
32	0.050
46/2	2.151
14/2/1/2	0.050
46/1/2	0.598
7/2/1/1	0.100
7/2/1/3	0.040
28/2/2	0.270
28/4/2	0.050
7/2/1/2	0.050
28/2/1	0.055
28/4/1	0.050
7/2/2/2	0.060
13/2	0.500
29/1	0.445
7/2/2/3	0.150
13/3	0.300
29/2	0.445
7/2/2/4	0.300
29/3	0.445

(1)	(2)
14/2/1/1	0.300
46/1/1	0.500
30/1/2	0.150
30/2	0.101
35/2/3	0.100
64/1	0.600
64/3	0.150
35/2/2	0.050
35/2/4	0.249
40	0.049
64/2	0.600
43/1	0.200
43/2	0.920
44/1	2.250
44/2	1.800
45	1.740
61/1/क/1	1.134
61/1/क/2	0.924
61/1/ख	1.520
61/1/ग	0.820
61/2/1/1	0.210
61/2/2	0.900
61/2/3	0.900
61/3/1	0.300
64/5	0.800
64/6	1.600
64/7	0.600
64/9	1.300
65/1	0.800
64/8	1.300
64/10	0.400
65/2	0.900
64/11	3.031
65/3	1.200
67/1	0.152
	योग . . . 35.464

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है— मालपुरा तालाब परियोजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 4561-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—आमसी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.967 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि  
(हेक्टर में)

(1)

(2)

145/4, 146/2

0.045

147/1/1

0.477

147/1/2

0.205

147/2

0.725

221/1/1/1

0.586

221/1/1/2/1

0.417

221/1/1/2/2

0.997

221/1/2

0.800

221/1/3/1/1

0.075

221/1/3/1/2

0.557

221/1/3/2

0.912

221/2

0.468

219

0.777

220

1.052

222/3

0.267

223

0.442

224/1/2

0.150

224/1/3

0.170

224/2

0.010

225/1

1.376

228/2

0.551

225/2

0.162

226/2/2

0.200

225/3/1,

0.200

225/3/2

0.200

225/3/3

0.200

225/3/4

0.560

225/3/5

0.307

(1)

(2)

225/3/6

0.307

226/2/1

0.730

227/1/1

0.350

227/1/2

0.325

227/1/3

0.425

227/1/4

0.310

227/1/5

0.430

227/1/6

0.744

227/1/7/2/1

0.250

227/1/8

0.744

227/1/9

0.240

228/3/1

1.710

228/3/2

0.400

228/3/3

0.700

228/3/4

0.200

228/3/5

0.200

228/3/6

0.400

228/3/7

0.400

228/3/8

0.714

228/3/9

0.200

228/3/10

0.100

228/3/11

0.200

योग . . . 22.967

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मण्डावदा तालाब परियोजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 4566-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—आमसी	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—38.955 हेक्टर.	193/1/7	0.100
	193/1/8	0.120
सर्वे क्रमांक	193/2	0.350
	195	0.200
(1)	196/1	0.100
	197/1	0.400
160/5	196/3	0.300
180/1	197/3	0.050
207/2/1	198/1/1	0.684
160/6	198/1/3	0.300
160/7	198/1/2/1	0.324
207/2/2	198/1/4/1	0.270
171/1	198/1/5/1	0.600
179/4	198/3/1	1.000
171/2	198/1/2/2	0.324
171/3	198/1/4/2	0.270
179/2	198/1/5/2	1.280
171/4	198/3/2	2.060
179/3	198/2	1.000
173	199	1.023
174/1	201	0.372
193/1/6	203	0.486
178/1/1	202/1	0.500
178/1/2	202/2	1.500
178/1/3	202/3	1.500
178/1/4	204	7.000
178/1/5	207/1/क	0.379
178/2/1	207/1/ख	0.340
178/2/2	207/1/ग	0.600
178/2/3	208/1	0.300
178/2/4		
178/3	योग . .	<u>38.955</u>
180/2		
182	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता	
196/2	है—आमसी तालाब परियोजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.	
196/4		
197/2	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	
184/1	एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री,	
185	जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार के कार्यालय में देखा जा	
186	सकता है.	
205		
187/3/घ		
193/1/4	क्र. 4571-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत	
193/1/10	होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की,	
193/1/5	अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए	
193/1/9	आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन्	

1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) ग्राम—बुहारला  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.660 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)
212/1/1	0.050
212/1/2	0.200
212/2	0.780
212/3/1	0.210
212/3/2	1.255
212/3/3	0.315
212/3/4	0.850
योग . .	<u>3.660</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मण्डावदा तालाब परियोजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 4576-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) ग्राम—बुहारला  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.410 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)
52/1/1	0.460

(1) (2)

208/2	1.560
209/1/2क	0.210
209/1/3	0.020
209/1/4	0.160
योग . .	<u>2.410</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—आमसी तालाब परियोजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1, धार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 4581-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) ग्राम—मण्डावदा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.573 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)
173/1/1	3.255
173/1/2	0.330
173/2/1	0.090
173/2/2	0.360
174/1	0.555
174/3/2	0.120
174/6/1	0.035
174/7/1	0.030
174/7/2	0.030

(1)	(2)	(1)	(2)
174/6/3	0.130	168/1	0.738
174/8	0.700	168/2	0.739
174/9	0.012	168/3	0.400
174/3/1	0.150	169	1.044
175/1	0.300	38/5	0.097
175/2	0.020	38/9	0.170
175/5	0.550	38/8	0.010
175/6	0.450	42/1	0.010
176/1	0.150	43/1 क	0.148
176/2	0.350	43/1 ख	0.050
176/4	0.400	43/1 ग	0.017
176/7/1	0.020	43/2/1	0.012
176/7/2	0.038	43/2/2	0.037
176/7/3	0.108	43/2/3	0.023
148/5	0.010	43/3/1	0.045
176/3	0.230	43/3/2	0.010
149/9	0.417	43/3/3	0.038
149/2	0.083	43/4	0.205
149/3	0.060	43/6/2	0.035
149/4	0.130	43/6/3	0.030
149/6	0.106	45/1	0.098
149/8	0.275	46/1	0.140
149/7	0.173	46/2	0.045
165/1	0.160	46/3	0.048
165/2	0.175	46/4	0.035
165/3	0.175	46/5	0.037
165/4	0.230	46/6	0.030
165/5	0.281	47/1	0.010
166/1/2	0.160	47/2	0.010
166/1/1	0.105	47/3	0.010
166/2	0.240	योग . .	<u>16.573</u>
166/3	0.376		
149/5	0.023	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मण्डावदा तालाब परियोजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.
164/15	0.010	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्रों, जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार के कार्यालय में देखा जा सकता है.
167/1क	0.150		
167/2	0.250		
167/3	0.250		



क्र. 4586-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) ग्राम—मालपुरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.480 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/1	1.029
2/2	0.817
3	1.757
4/1	2.117
6/1	0.750
6/2	0.800
6/3	0.665
6/4	0.615
6/5	0.720
6/6	0.860
6/7	0.475
6/8	0.470
6/9	2.265
5/1ख, 5/2/2	0.940
7/2/2/1	0.200
योग . . .	14.480

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मण्डावदा तालाब परियोजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**सी. बी. सिंह,** कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ (ब्यावरा), दिनांक 4 अप्रैल 2013

क्र. 3993-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (गोरखपुरा तालाब की नहर निर्माण एवं बांध में शेष प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़  
(ख) तहसील—राजगढ़,  
(ग) ग्राम—लालपुरा 3.588 हे., कुशलपुरा 0.544 हे., दलेलपुरा 3.240 हे., परसपुरा 6.308 हे. एवं रोज्या 0.600 हे.  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—23.608 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)

नहर में शेष अर्जित भूमि

#### ग्राम—लालपुरा

107	0.510
23/1	0.054
106/123	0.138
26	0.180
25/2	0.498
20/2/1	0.060
20/2/2	0.060
20/2/3	0.090
19/2	0.450
17	0.738

(1)	(2)	(1)	(2)
16	0.618	डूब क्षेत्र में शेष अर्जित भूमि	
19/1	0.192		
	योग . . 3.588		
ग्राम—कुशलपुरा		ग्राम—परसपुरा	
		34	5.240
		26	0.540
		25	0.408
4/5	0.272	22	0.120
4/8	0.272		योग . . 6.308
	योग . . 0.544		
ग्राम—दलेलपुरा		ग्राम—कुशलपुरा	
		4/6	0.842
445/1	0.569	4/7	1.180
445/2	0.569	4/9	0.240
423/3	0.516	4/10	0.300
368	0.162	4/11	0.156
419/2/1	0.084	5/7	0.900
369/1	0.030	5/8	1.840
432/1	0.100	5/9	1.770
424/2/1	0.038	5/1/3	0.700
419/2/2	0.084	5/1/4	0.500
369/2	0.030	16/7	0.900
432/2	0.100		योग . . 9.328
424/2/2	0.038	ग्राम—रोज्या	
419/2/3	0.084	27/8	0.600
369/3	0.030		योग . . 0.600
432/3	0.100	महायोग . . 23.068	
424/2/3	0.038		
375/1/1	0.100	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—गोरखपुरा तालाब की नहर निर्माण एवं डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु.	
375/1/2	0.100	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.	
443/5	0.120		
427	0.030		
376	0.120		
372	0.138		
371	0.060		
	योग . . 3.240	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 26 मार्च 2013

क्र. C-2739.—श्री अनिल पवार, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की पदोन्नति असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रिक्त पद पर वेतनमान रु. 8000—275—13,500/- (पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 15600—39100+ग्रेड पे रु. 5400) में अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से करते हुए उनकी पदस्थापना प्रभारी आई.एल.आर. अनुभाग में की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. A-1099.—श्री सुनील पाटीदार, निजी सहायक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर का अभ्यावेदन दिनांक 10 दिसम्बर 2011 स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्तों (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील तथा आचरण) नियम, 1996 के नियम 21 में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत, उन्हें निजी सचिव के पद पर वेतनमान रुपये 9300—34800+रुपये 4200/- ग्रेड पे में अस्थायी एवं स्थापान रूप से दिनांक 2 अगस्त 2011 से पदोन्नत किया जाता है, तथा निजी सचिव के काडर में उनकी वरिष्ठता भूतलक्षी प्रभाव से श्री राजेश टी. ममतानी के नाम के नीचे तथा श्री दिनेश वर्मा के नाम के ऊपर निर्धारित की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
**सुभाष काकड़े**, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2013

क्र. C-2579-दो-2-27-2011.—श्री जे. पी. माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 15 से 18 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. माहेश्वरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2583-दो-2-11-2011.—श्री एस. के. मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

(1) पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 4 से 11 जनवरी 2013 तक आठ दिन के अनुक्रम में पात्रतानुसार दिनांक

12 से 14 जनवरी 2013 तक तीन दिवस का अर्द्धवेतन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) दिनांक 15 जनवरी 2013 का एक दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्द्धवेतन अवकाशकाल में उन्हें नियमानुसार अर्द्धवेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की पात्रता होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2575-दो-2-27-2011.—श्री जे. पी. माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 19 से 27 जून 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. माहेश्वरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2577-दो-3-43-2011.—श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 11 से 13 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र महाजन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2585-दो-2-49-2009.—श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 15 से 18 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2587-दो-2-49-2007.—श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को पात्रतानुसार निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

- (1) दिनांक 01 से 14 फरवरी 2013 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।
- (2) दिनांक 15 से 16 फरवरी 2013 तक दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।
- (3) दिनांक 17 से 23 फरवरी 2013 तक सात दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/कम्प्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2589-दो-3-26-2002.—श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 11 से 16 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 09 से 10 मार्च 2013 तक तथा पश्चात में दिनांक 17 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 23 मार्च 2013

क्र. D-1481-दो-2-134-06.—श्री एस. एस. सिसौंदिया, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 18 नवम्बर 2009 से 17 नवम्बर 2011

तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
**व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.**

जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2013

क्र. डी-1466-तीन-6-6-64 भाग-तीन.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक ए-1712-तीन-6-6-64 भाग-तीन दिनांक 17 जून 2010 को अतिष्ठित करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाहा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, इंदौर को, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-1-2001-इक्कीस-बी(एक), दिनांक 23 मार्च 2007 द्वारा इंदौर में स्थापित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय को विशेष मजिस्ट्रेट के रूप में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों द्वारा या उनके अधीन घोषित अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिए नियुक्त करता है:—

#### अनुसूची

1. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (क्रमांक 37 सन् 1954)।
2. मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956)।

उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का मुख्यालय इंदौर में रहेगा।

No. D-1466-III-6-6-64 pt-III.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) & In supersession of High Court Notification no. A-1712-III-6-6-64-III dated 17th June 2010 the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints Shri Jitendra Singh Kushwaha, Judicial Magistrate First Class & VIIIth Civil Judge Class-I, Indore, as the Special Magistrate of the Special Court of Judicial Magistrate First Class established at Indore by the State Government vide Law & Legislative Affairs Department, Bhopal Notification No. F-1-1-2001-XXI-B(1), dated 23rd March 2007 for the trial of cases relating to offences declared by or under enactments specified in the schedule below:—

#### SCHEDULE

1. The Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (Act No. 37 of 1954)
2. Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (Act No. 23 of 1956)

The Head Quarter of the of the Presiding Officer of the said Court shall be at Indore.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
अभय कुमार, रजिस्ट्रार (डी. ई.).

जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2013

क्र. C-1975-दो-3-103-08-संशोधन.—उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि रजिस्ट्री आदेश क्रमांक-डी/635, दिनांक 30 जनवरी 2013 की पॉचवी एवं छठवीं लाइन में अवकाश के पश्चात में दिनांक 27 मार्च 2012 से दिनांक 29 मार्च 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश के स्थान पर दिनांक 27 मार्च 2013 से दिनांक 29 मार्च 2013 तक पढ़ा जावे।

जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2013

क्र. C-2581-दो-2-5-2013.—श्री गजेन्द्र सिंह, फेकल्टी मेम्बर, जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 20 से 26 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 27, 28 एवं 29 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री गजेन्द्र सिंह, फेकल्टी मेम्बर, जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गजेन्द्र सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो फेकल्टी मेम्बर के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 23 मार्च 2013

क्र. D-1478-दो-3-10-2012.—श्री एन. के. जैन, ओ.एस.डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 23 मार्च

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. 398-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायालय की हैसियत से नियुक्त करता है:—

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री अखिलेश पण्ड्या, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	उमरिया	उमरिया	सिविल जिला, उमरिया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया की हैसियत से श्री ए. एम. सक्सेना के स्थान पर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

2013 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 24 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. जैन, ओ.एस.डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2013

क्र. C-2851-दो-3-35-2011.—श्री आर. पी. वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 18 से 21 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 तथा 17 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ को पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.